रवि.

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर SBCW संख्या 5174/2021 रामसिंह गोदारा बनाम स्टेट व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थितिं के संदर्भ में देखा गया।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि याचिकार्थी राउप्रावि 1–एल.एन.पी(सादुलशहर) श्री गंगानगर में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत है तथा एम.एस.सी. कृषि, बी.एड याग्यता रखते है। तथा उनके द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर में वरिष्ठ अध्यापक पद से स्कूल व्याख्याता(कृषि) पद पर डीपीसी करने हेतु दायर याचिका संख्या 5174/2021 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2023 की अनुपालना करवाई जावे। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2023 में यह आदेश पारित किया गया है कि:– "......the petitioner submits that the petitioner is a Senior Teacher and possesses the requisite qualification for promotion to the post of Lecturer in Agriculture (School Education)

In light of such limited submission, the present petition is disposed of with a direction to the respondents to decide the representation of the petitioner, which shall be filed by him afresh within seven days from today, by passing speaking order, while keeping into due consideration the Rajasthan Education (State and Subordinate) Services Rules, 2021,strictly in accordance with law."

अभ्यावेदन में की गई मांग के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। याचिकार्थी द्वारा की जा रही मांग के सम्बंध मे संबंधित अभिलेखीय स्थिति एवं नियमों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्राध्यापक (कृषि) के पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में प्रभावी राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में फीडर पद वरिष्ठ अध्यापक जो कृषि विज्ञान/उद्यान कृषि/पशुपालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा की योग्यता रखते हैं; निर्धारित है तथा उक्त पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव का उल्लेख नहीं है। प्राध्यापक(कृषि) के पद पर पदोन्नति हेतु फीडर पद वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक(सामान्य) करने एवं न्यूनतम अनुभव अवधि 05 वर्ष निर्धारित करने सम्बंधी प्रभावी नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन चल रहे है। चूंकि याचिकार्थी वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर कार्यरत नहीं है वरन् वरिष्ठ अध्यापक–संस्कृत के पद पर कार्यरत है, अत: याचिकार्थी संबंधित सेवा नियम में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार प्राध्यापक(कृषि) के पद पर पदोन्नति की पात्रता पूर्ण नहीं करता है।

कार्मिक विभाग राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में डीपीसी प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 8.1 में उल्लेख किया गया है कि:– **"किसी पद विशेष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जानी है, का यदि सम्बन्धित सेवा नियमों में समावेश नहीं हुआ है अथवा नियमों के विद्यमान प्रावधान में किसी प्रकार का संशोधन प्रक्रियाधीन है तो सर्वप्रथम इस प्रकार के संशोधन अथवा नियमों में पद के समावेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाए तथा नियमों में संशोधन होने के पश्चात ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव तैयार किये जाए।"** उक्त निर्देशों के अनुसार संबंधित सेवा नियम में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.23 1?:10:23 IST
Reason: Approved

होने के कारण याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्राध्यापक(कृषि) के पद पर पदोन्नति करने सम्बंधी मांग विचार योग्य नहीं बनती है।

अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में की गई मांग का अभिलेखीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि चूंकि याचिकार्थी संबंधित सेवा नियम में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार प्राध्यापक(कृषि) के पद पर पदोन्नति की पात्रता पूर्ण नहीं करता है अतः याचिकार्थी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में प्राध्यापक(कृषि) के पद पर पदोन्नत किए जाने संबधी की जा रही माँग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/डीपीसी/प्रभाग–1/SBCW सं–5174/2021 दिनांक 28.07.023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2 संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग राजस्थान, जयपुर
3 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4 संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) बीकानेर
5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जोधपुर
6 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
8 संस्थाप्रधान, राउप्रावि 1–एल.एन.पी.(सादुलशहर)श्री गंगानगर (रजिस्टर्ड)
9 संबंधित याचिकार्थी श्री रामसिंह गोदारा(वरि.अध्यापक) राउप्रावि 1–एल.एन.पी.(सादुलशहर)श्री गंगानगर (रजिस्टर्ड)
10 रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी(डीपीसी),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.23 1?:10:23 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर APEAL संख्या 1758/2022 रामराज मीणा बनाम स्टेट व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2022 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के संदर्भ में देखा गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में राउमावि पचीपल्या सवाईमाधोपुर में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत है तथा उनके द्वारा धारित एम. ए. भूगोल 2019 (परिणाम दिनांक 26.02.2020) की योग्यता का वरिष्ठता सूची में अंकन हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर को पत्र दिनांक 13.03.2020 के द्वारा प्रकरण प्रेषित कर दिया गया था तथा इन्हें भी कनिष्ठ कार्मिक श्री कौशलेश शर्मा जिनकी एम.ए. भूगोल की योग्यता का अंकन संबंधित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी के समान ही कार्यालय आदेश दिनांक 04.11.2020 द्वारा किया गया एवं जिन्हें अपील संख्या 797/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2020 की अनुपालना मेंयोग्यता अभिवृद्धि में हुए विलम्ब में श्री शर्मा को दोषी नहीं मानते हुए इनका प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति चयन करने हेतु रिव्यू डीपीसी में सम्मिलित किया गया था, के समान प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति चयनित किया जाए।

अभ्यावेदन में की गई मांग के संबंध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष दायर अपील संख्या 1758/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 के द्वारा अपील निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रतिवादी को प्रस्तुत करें तथा प्रतिवादी प्राप्त अभ्यावेदन विभागीय दिशा–निदेशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में सकारण एवं आख्यात्मक आदेश जारी करते हुए अभ्यावेदन निस्तारित करें। अभिलेखीय स्थिति के अनुसार अपीलार्थी की एम.ए. भूगोल 2019 की योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में दर्ज करवाने सम्बन्धी प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय माध्यमिक) सवाई माधोपुर के पत्र दिनांक 18.03.2020 के द्वारा संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर को भिजवाया था तथा उनके कार्यालय में यह प्रकरण दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त हुआ, दिनांक 21.03.2020 व 22.03.2020 को राजकीय अवकाश तथा 23.03.2020 से कोविड–19 के कारण लॉक डाउन लागू होने के कारण इस प्रकरण पर कार्यवाही तत्समय नहीं की जा सकी, एवं लॉक डाउन हटने के उपरान्त अपीलार्थी द्वारा योग्यता अभिवृद्धि के सम्बन्ध में प्रकरण में आक्षेप होने के कारण आक्षेप पूर्ति हेतु पत्र दिनांक 15.05.2020 के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को लौटा दिया गया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में आक्षेप पूर्ति करते हुए पत्र दिनांक 26.05.2020 संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय को भिजवा दिया गया। संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर के आदेश दिनांक 27.10.2020 द्वारा मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की एम.ए. भूगोल 2019 की योग्यता अभिवृद्धि कर दी गई एवं निदेशालय के आदेश दिनांक 04.11.2020 के द्वारा अपीलार्थी की संबंधित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में योग्यता अभिवृद्धि कर दी गई। चूँकि प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.08.2020 को आयोजित की जा चुकी थी जबकि अपीलार्थी की एम.ए. भूगोल 2019 की योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में उक्त डीपीसी बैठक के पश्चात् किया गया था। अतः अपीलार्थी को प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) पद की 2020–21 की स्थाई पात्रता सूची में नियमानुसार सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों का उक्त डीपीसी में चयन हो गया।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.27 1?:22:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 4349644

चूँकि अपीलार्थी द्वारा एम.ए. भूगोल 2019 की योग्यता अभिवृद्धि हेतु प्रकरण माह मार्च 2020 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था एवं आक्षेप पूर्ति सहित प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय माध्यमिक) भरतपुर के पत्र दिनांक 26.05.2020 के द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया था, अतः योग्यता अभिवृद्धि में हुए विलम्ब के लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी का प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति चयन पर विचार करते हुए रिव्यू डीपीसी के प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भिजवाने सम्बन्धी निर्णय लिया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/डीपीसी/प्रभाग–1/APEAL सं–1758/2022 **दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2 संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4 संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) भरतपुर।
5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जयपुर
6 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7 अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
8 संस्थाप्रधान, राउमावि पचीपल्या सवाईमाधोपुर (रजिस्टर्ड)
9 संबंधित याचिकार्थी श्री रामराज मीणा (वरि.अध्यापक) राउमावि पचीपल्या सवाईमाधोपुर (रजिस्टर्ड)
10 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.27 1?:22:52 IST
Reason: Approved